

भारत सरकार  
रसायन और उर्वरक मंत्रालय  
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-1755  
दिनांक 02.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

.....  
पेट्रोरसायनों का मूल्य

1755. श्री भर्तृहरि महताब:

श्री राहुल रमेश शेवले:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पेट्रोरसायनों के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हुई है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान विभिन्न उत्पादों की पैकेजिंग लागत, विभिन्न क्षेत्रों और उपभोक्ता वस्तुओं पर पेट्रोरसायनों के मूल्यों में उक्त वृद्धि के प्रभाव का पता लगाया है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ङ) सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों और आम लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए पेट्रोरसायनों के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए कोई सुधारात्मक कदम उठाए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा)**

(क) से (घ) : पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सूचित किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां पेट्रोरसायनों की कीमतों के बारे में उनकी अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के हिसाब से उचित निर्णय लेती हैं जो बाजार आधारित होती हैं और घटती-बढ़ती रहती हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर मुख्य रूप से पैकेजिंग इंडस्ट्री द्वारा उपयोग किए गए पेट्रोरसायनों अर्थात् परिष्कृत टेरफथेलिक अम्ल (पीटीए), मोनो एथिलीन ग्लाइकॉल (एमईजी) और पोलीओलेफिन्स के कतिपय ग्रेडों की चालू वर्ष समेत पिछले तीन वर्षों की औसत कीमत निम्नानुसार हैं:

(रुपए प्रति मी.ट.)

वर्ष-वार	एमईजी	पीटीए	पोलीओलेफिन्स		
			एचडी	एलएल	पीपी
2016-17	57204	52388	87754	88605	83074
2017-18	65304	54560	84683	84161	86753
2018-19	61934	72744	95580	83834	94778
2019-आज तक	48077	68708	82977	78236	92147

(ड.) चूंकि पेट्रोरसायन मुक्त रूप से व्यापार किए जाने वाले उत्पाद हैं इसलिए उनकी कीमतों पर सरकार का हस्तक्षेप नहीं है।